न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

बंधक अनुमति वाद संख्या :— 60/18—19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

पुष्पा बागे — आवेदक

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
05.07.19	**आदेश**	

आवेदक पुष्पा बागे पति सुलेमान बागे ग्राम कुल्डा, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने तालिका में वर्णित जमीन को झारखण्ड सरकार वगैरह बैंक ऑफ बड़ौदा तोरपा शाखा, खूँटी के पक्ष में बंधक रखने हेतु आवेदन दाखिल कर अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। निम्नलिखित भूमि के बंधक रखने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा
कुल्डा	64	15	826	0.10

आवेदक उपर्युक्त भूमि पर अपना मकान बनाने हेतु ऋण लेना चाहते हैं। यह भूमि आवेदक के द्वारा क्रय किया गया बतलाया गया है एवं आवेदन पत्र के साथ निबंधित दस्तावेज संख्या 1183/1140 दिनांक 27.10.10 की छाया प्रति उपलब्ध करायी गई है।

उपर्युक्त भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 322 दिनांक 28.06.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दाखिल खारिज वाद संख्या 155R27/2011-12 के द्वारा प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज पुष्पा बागे पति सुलेमान बागे ग्राम कुल्डा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के नाम जमाबंदी कायम है।

न्यायालय पत्रांक 35/न्या0 दिनांक 18.06.19 द्वारा आवेदक से उनका जाति प्रमाण पत्र का मांग किया गया। आवेदिका के द्वारा अपना जाति प्रमाण पत्र देने में असमर्थ रहे। इससे उनका जाति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

अतः वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

05/07/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

05/07/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।